न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी — **श्री प्रमोदकुमार सिंधव** आर.ए.एस.)

मिसल नं0 1061/दावा/2015
(पूर्व मि0नं0 565/2012)
दायरा दि0 10/07/2012

उनवान

1. बनवारीलाल पुत्र रतनलाल जाति ब्राम्हण नि0 चीकली तह0 खानपुर **मृ0का0मु0**
   1/1 लोकेश पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राम्हण निवासी चीकली तह0 खानपुर
   1/2 रवि पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राम्हण निवासी चीकली तह0 खानपुर
   1/3 शालू पुत्र बनवारीलाल नाबा0 जर्ये संरक्षक माता मनभरबाई बेवा रतनलाल जाति ब्राम्हण निवासी चीकली तह0 खानपुर
   1/4 मनभरबाई बेवा बनवारीलाल जाति ब्राम्हण निवासी चीकली तह0 खानपुर
2. मुरारीलाल पुत्र रतनलाल जाति ब्राम्हण निवासी चीकली तह0 खानपुर
3. नवलकिशोर पुत्र रतनलाल जाति ब्राम्हण निवासी चीकली तह0 खानपुर
4. शांतिबाई पत्नि रतनलाल जाति ब्राम्हण निवासी चीकली तह0 खानपुर

— वादीगण

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र रतनलाल जाति ब्राम्हण निवासी चीकली तह0 खानपुर
2. सुशीला बाई पुत्री रतनलाल पत्नि रामस्वरूप जाति ब्राम्हण नि0 मउबोरदा
3. रेखा पुत्री रतनलाल पत्नि जगदीश जाति ब्राम्हण नि0 जोलपा तह0 खानपुर
4. मंजू पुत्री रतनलाल पत्नि राजेंद्र जाति ब्राम्हण नि0 मोडक तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा
5. रानी पुत्री रतनलाल पत्नि दिनेश जाति ब्राम्हण नि0 भनग्याखेड़ी सारोला तह0 खानपुर
6. मदनलाल पुत्र किशनलाल जाति ब्राम्हण निवासी चीकली तह0 खानपुर
7. कैलाशचंद पुत्र किशनलाल जाति ब्राम्हण निवासी पारीक मोहल्ला खानपुर
8. रामस्वरूप पुत्र किशनलाल जाति ब्राम्हण निवासी रिलायन्स पेट्रोल पम्प के सामने खानपुर
9. प्रकाशचंद पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ नि0 कंवरपुरामण्डवालान तह0 खानपुर
10. चौथमल पुत्र चतुर्भुज जाति महाजन नि0 खानपुर तह0 खानपुर **मृतक का0मु0**
    10/1 धापूबाई पत्नि चौथमल जाति महाजन निवासी खानपुर तह0 खानपुर
    10/2 गुड्डीबाई पुत्री चौथमल जाति महाजन निवासी खानपुर तह0 खानपुर
    10/3 अन्जु पुत्री चौथमल जाति महाजन निवासी खानपुर तह0 खानपुर
    10/4 रामू पुत्र चौथमल जाति महाजन निवासी खानपुर तह0 खानपुर
    10/5 कालू पुत्र चौथमल जाति महाजन निवासी खानपुर तह0 खानपुर
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर
12. सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार कार्यालय खानपुर तह0 खानपुर

— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 91, 53, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री हंसराज मीना अधिवक्ता – वादी
श्री लेखराजसिंह चंद्रावत अधिवक्ता – प्रति0 1 लगा0 5
श्री रमेशकुमार विजय अधिवक्ता – प्रति0नं0 7, 8

निर्णय

दिनांक 29/07/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने यह वाद धारा 91, 53, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम खानपुर की जमाबंदी सं0 2067–70 की खतौनी सं0 46 की ख0नं0 2301 रकबा 25.18 बीघा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की स्थित है। यह आरजी बाप दादाओं की पुश्तैनी सम्पत्ति है, जिसमें वादीगण 1 लगा0 4 का 1/9 हिस्सा, प्रति0 1 लगा0 5 का 5/36 हिस्सा व प्रति0 6 लगा0 8 का हिस्सा 3/4 दर्ज रेकार्ड था, परंतु प्रतिवादी रामस्वरूप के द्वारा अपना हिस्सा 1/4 में से प्रतिवादी प्रकाशचंद पुत्र मोतीलाल को 1/259 हिस्सा बैचान करने के बाद प्रतिवादी रामस्वरूप का हिस्सा 255/1036 दर्ज रेकार्ड है। इसके बाद भी प्रतिवादी रामस्वरूप ने पुनः 1/259 हिस्सा प्रति0नं0 10 को बैचान कर दिया है। इस आराजी का सहखातेदारों के मध्य विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। चूँकि उक्त वर्णित आराजी के अलावा वादीगण व प्रतिवादीगण के अन्य गांव में भी शामलाती खाते की आराजी स्थिति हैं वह भी अविभाजित है, परंतु प्रतिवादी रामस्वरूप के द्वारा उक्त वर्णित आराजी में से प्रति0नं0 9 प्रकाशचंद व प्रति0नं0 10 चौथमल को 1/259–1/259 भाग का विक्रय करने व दर्ज रेकार्ड करने से इसका पृथक से वाद पेश किया जा रहा है। उक्त आराजी के मेगा हाईवे से सटवा व आबादी क्षैत्र के नजदीक आ जाने से उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। इसलिये प्रतिवादीगण के मन में बदयांति आ गई है। इसलिये वह मोटी रकम लेकर अविभाजित आराजी में से रोड़ साईड की तरफ की बहुमूल्य भाग का प्रभावशाली व्यक्तियों को बाला–बाला ही बैचान करने पर आमादा हो रहा है। यदि प्रतिवादी आराजी का विभाजन करवाये बगैर ही सड़क से सटवा भाग को असरदार व्यक्यिों को बैचान कर देते हैं तो मौके पर कब्जे काश्त को लेकर अतिकमण करने वालों के साथ लड़ाई झगड़ा होने की पूर्ण सम्भावना है और वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन द्रव्य में संम्भव नहीं होगा। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को रहन बैचान नहीं करें और प्रतिवादीगण के हिस्से पर बेजा दखल अंदाजी नहीं करें। आराजी शामलात में होने से पक्षकारों के मध्य सीमा विवाद बना रहता है तथा किसी सहखातेदार द्वारा उक्त आराजी का हस्तांतरण करने पर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इसलिये वादीगण का हिस्सा अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी का विभाजन कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर कब्जा संम्भलाया जावे।

वादीगण ने प्रतिवादीगण से चलकर खाता पृथक करवाने की कहने एवं प्रतिवादीगण द्वारा मना करने व अविभाजित आराजी में से प्रति0नं0 9 व 10 को एक–एक प्लाट का विक्रय करने पर वाद कारण 15.06.2012 को उत्पन्न हुआ है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

वाद पेश कर माननीय न्यायालय से निवेदन करते हैं। कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ग्राम खानपुर की जमाबंदी सं0 2067–70 की खतौनी सं0 46 की ख0नं0 2301 रकबा 25.18 बीघा आराजी को विभाजन से पूर्व रहन, बैचान नहीं करें और उक्त आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें, वादीगण के हिस्से में बेजा मदाखलत व मजाहमत नहीं करें। ऐसा कार्य न तो स्वंय करें और न ही अन्य प्रतिनिधी से ऐसा करावे। साथ ही वादग्रस्त आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का विभाजन कर वादीगण का प्रत्येक का हिस्सा 1/36 कुल वादीगण 1 लगा0 4 का हिस्सा 1/9 हिस्सा पृथक खाते दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुये कब्जा संम्भलाया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझें वह भी वादीगण को अता फरमाई जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0नं0 9, 10, 11, 12 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। प्रति0 नं0 1 लगा0 5 की ओर से श्री लेखराजसिंह चंद्रावत एडवोकेट, प्रति0 6 की ओर से श्री गिरधारीलाल नागर एडवोकेट व प्रति0 7, 8 की ओर से श्री रमेशकुमार विजय एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब का अवसर चाहा गया। दौराने वाद वादी नं0 1 बनवारीलाल व प्रतिवादी नं0 10 का देहांत हो जाने से इनके कायम मुकाम वादी नं0 1/1 लगा0 1/4, एवं प्रति0 10/1 लगा0 10/5 को वाद में पक्षकार बनाना गया। प्रति0 10/1 लगा0 10/5 के बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध भी एक तरफा कार्यवाही की गयी। वहीं प्रति0नं0 6 व इनके अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध भी एक तरफा कार्यवाही की गयी।

दिनांक 8.9.2015 प्रति0नं0 7, 8 ने वाद के तथ्यों का विरोध करते हुये जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्णतया निराधार एवं असत्य है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में अपने पारिवारिक समझौते का उल्लेख नहीं किया गया है, जो खातेदारान के मध्य आपसी सहमति एवं पारिवारिक शांति बनाऐ रखने के लिये 28 वर्ष पूर्व किया था और पारिवारिक समझौते के तथ्य को छिपाकर यह वाद पेश किया है जो चलने योगय नहीं है। चूँकि खातेदारान के मध्य 28 वर्षों पूर्व आपसी सहमति से सम्पूर्ण आराजी का विभाजन हो गया था। इस कारण अब नये सिरे से विभाजन का वाद नहीं किया जा सकता है। अतः वाद स्वतः खारिज होने योग्य है। खातेदारान के खाते में ग्राम खानपुर की जमाबंदी सं0 2067–70 खेवट खतोनी सं0 47 नया 17 पुराना की 2 किता की 10.05 बीघा, खतौनी सं0 501 की ख0नं0 2299/2791 की 1.02 बीघा, खतौनी सं0 46 की 25.18 बीघा, ग्राम चीकली की जमाबंदी सं0 2066–69 की खतौनी सं0 5 की 2 किता रकबा 7.04 बीघा, ग्राम मोटला की जमाबंदी सं0 2068–71 की खतौनी सं0 3 की 6.14 बीघा, खतौनी सं0 2 की 3.07 बीघा, ग्राम चीकली की जमाबंदी सं0 2066–69 की खतौनी सं0 6 की 2.04 बीघा उपर वर्णित आराजी का खातेदारान के बीच आपसी सहमति से आराजी का गत 28 वर्षों से इस प्रकार विभाजन हो रहा है, जिन पर संबंधित खातेदार के अतिरिक्त अन्य किसी का कब्जा कभी भी नहीं रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

1. खातेदार रतनलाल के हिस्से में :– ख0नं0 2423 तथा 2425 की 10.05 बीघा भूमि ग्राम खानपुर के माल की ख0नं0 94/110 की 3.07 बीघा, ग्राम मोटला के माल की, इस प्रकार कुल 13.12 बीघा भूमि रतनलाल खातेदार के कब्जे में गत 28 वर्ष से है।
2. खातेदार मदनलाल के हिस्से में :– ग्राम चीकली की 7.04 बीघा, ग्राम मोटला की 4.00 बीघा एवं 2.14 बीघा कुल 13.18 बीघा भूमि मदनलाल खातेदार के कब्जे में गत 28 वर्षों से है।
3. खातेदार कैलाशचंद के हिस्से में :– ग्राम खानपुर की ख0नं0 2301 की 12.19 बीघा व ख0नं0 2299/2791 की 0.11 बीघा कुल 13.10 बीघा भूमि कैलाशचंद खातेदार के कब्जे में गत 28 वर्षों से है।
4. खातेदार रामस्वरूप के हिस्से में :– ग्राम खानपुर की ख0नं0 2301 की 12.19 बीघा व ख0नं0 2299/2791 की 0.11 बीघा कुल 13.10 बीघा भूमि रामस्वरूप खातेदार के कब्जे में गत 28 वर्षों से है।

उक्तानुसार खातेदारान के बीच में आपसी सहमति से गत 28 वर्षों से भी ज्यादा समय से विभाजन मौके पर हो रहा है, परंतु रिकार्ड में सभी खातेदारान का नाम सभी भूमियों में अंकित हो रहा है, जो दुरूस्त होने योग्य है तथा कब्जे अनुसार भूमि खाते दर्ज होना न्याय संगत है। प्रति0नं0 7,8 सदैव से ही खानपुर में निवास करते हैं और इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी खातेदार खानपुर में नहीं रहते तथा ग्राम चीकली में निवास करते हैं। प्रति0नं0 8 ने मद नं0 1 में वर्णित आराजी में गत 28 वर्षों से रहने मकान बना रखा है, जिसमें अपने परिवार सहित निवास करता है तथा अपने खर्चे से दो नलकूप दोनों प्रतिवादीगण ने लगा रखे हैं। दोनों पर विद्युत कनेक्शन हो रहे हैं जो दोनों प्रतिवादीगण के नाम से हैं। विद्युत कनेक्शन लगभग 17 वर्षों पुराने हैं, जिनका विद्युत बिल प्रतिवादीगण ही अदा करते हैं। वादीगण द्वारा मकान बनाते वक्त किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गई, वादीगण ने अपने वाद पत्र में उक्त समस्त तथ्यों को छुपाकर झूँठा वाद पेश किया है, जो स्वतः ही खारिज होने का मोहताज है। ख0नं0 2301 के पश्चिमी तरफ ख0नं0 2299 की सरकारी भूमि स्थित है, जिसपर भी अप्रार्थीगण का सदैव से कब्जा होने से केवल प्रार्थीगण के विरूद्ध ही तहसील द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती रही है। प्रतिवादीगण द्वारा सम्पूर्ण भूमि के विभाजन का वाद पेश नहीं किया गया है। इस कारण भी प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। प्रति0 7, 8 के अलावा अन्य किसी भी खातेदार ने आराजी मुतनाजा का लगान अदा नहीं किया है। प्रति0 7, 8 ने ही गत 28 वर्षों से अब तक भूमि का लगान राज जमा कराया है, रसीदात पेश है। वादी ने अपने वाद पत्र का मुल्यांकन नहीं किया है, जो जा0दीवानी के प्रावधानों के विपरीत होने से वाद खारिज होने योग्य है। गत 28 वर्षों से पक्षकारान खातेदारान के बीच आपसी सहमति से विभाजन हो जाने तथा खातेदारान के अपने अपने हिस्से की भूमि पर प्रथक प्रथक काबिज होने के कारण नये सिरे से विभाजन कानून सम्मत नहीं होने तथा विधि विपरीत होने से वाद खारिज होने योग्य है। प्रति0 7, 8 ने विवादित भूमि को खाद डालकर उन्नत बना रखा है तथा तीन तरफ पत्थरों का कोट करवा कर आरजी को जानवरों से सुरक्षित कर रखा है, जिसमें भी प्रतिवादीगण को काफी व्यय करना पड़ा है। अब बदनियती से वादीगण निरर्थक वाद पेश कर अपना हक जमा रहे हैं, जो चलने योग्य नहीं है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पेश करने के कारण 10.07.2012

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

को वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः जवाबदावा पेश कर माननीय न्यायालय से अर्ज है कि वाद वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जाकर कस्बा खानपुर के माल की खतौनी सं0 46 की ख0नं0 2301 की 25.18 बीघा तथा ख0नं0 2299/2791 की 1.02 बीघा भूमि से वादीगण तथा अन्य प्रतिवादीगण के नाम खाते से खारिज किये जाकर प्रति0 कम 7–8 को तन्हा खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे। व्यय न्यायालय तथा अन्य न्यायोचित सहायता अता फरमाई जावे।

अधिवक्ता वादी को काउण्टर क्लेम की नकल दिलायी गयी किन्तु पर्याप्त अवसर के बाद भी वादी ने इस काउण्टर क्लेम का जवाब पेश नहीं किया। वहीं दि0 18.11.15 को प्रति0 नं0 1 लगा0 5 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुये जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खानपुर की खतौनी सं0 46 की ख0नं0 2301 की 25.18 बीघा आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगा0 10 के शामलाती खाते दर्ज है, जो पुश्तैनी जायदाद है। इसमें प्रति0 1 लगा0 5 का 5/36 हिस्सा है, जिसको समस्त सह खातेदार शामिल में काश्त करते चले आये हैं। वर्णित आराजी कस्बा खानपुर में आबादी के नजदीक आ जाने के कारण कीमत बढ़ जाने से प्रति0नं0 7, 8 के मन में बदयान्ति आ गई और इसी कम में प्रति0नं0 8 द्वारा बिना विभाजन कराये ही दो प्लाट प्रति0 नं0 9, 10 को बैचान कर दिया। केताओं द्वारा मन चाही जगह पर कब्जा करने के कारण अनावश्यक वाद विवाद पैदा होंगे तथा आराजी शामिल खाते में होने के कारण सह खातेदारों के मध्य आये दिन वाद विवाद पैदा होते रहते हैं। ऐसे में हमारा काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में से हमारे हिस्से 5/36 को प्रथक कर प्रथक खाते दर्ज किया जावे। इस आशय की सादिर डिक्री फरमाई जावे। अधि0 वादी को इस जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम की नकल दिलायी गयी। अधिवक्ता वादी ने प्रति0 1 लगा0 5 के काउण्टर क्लेम से सहमति जताते हुये इसे स्वीकार करने का निवेदन किया। वादी के वाद एवं प्रति0 1 लगा0 5 व प्रति0 7, 8 के काउण्टर क्लेम के अनुसार विवादित बिन्दूओं पर निम्नप्रकार तनकीयात कायम की गई :–

1. आया ग्राम खानपुर की ख0नं0 2301 की 25.18 बीघा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की स्थित है। यह पुश्तैनी बाप दादाओं की सम्पत्ति है ? – वादीगण

2. आया वादग्रस्त आराजी में वादीगण 1 से 4 का 1/9 हिस्सा, प्रति0 नं0 1 से 5 का 5/36 हिस्सा, प्रति0 नं0 6 से 8 का 3/4 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था। प्रति0नं0 8 द्वारा अपने हिस्से में से 1/259 व 1/259 हिस्से का बैचान प्रकाशचंद व चौथमल को बैचान कर दिया है ? – वादीगण

3. आया आराजी शामलाती खाते में दर्ज होने के कारण अक्सर पक्षकारों के मध्य सीमा विवाद बना रहता है ? – वादीगण

4. आया वादीगण वादग्रस्त आराजी के सह खातेदार होने से अपने 1/9 हिस्से का विभाजन कराने एवं कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। साथ ही प्रतिवादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

विरूद्व विभाजन से पूर्व रहन बैचान नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के भी अधिकारी हैं ?
— वादीगण

5. आया पक्षकारान के खाते में ग्राम खानपुर में क्रमशः खाता सं0 47 पर 2 किता की 10.05 बीघा, खाता सं0 501 पर 1.02 बीघा, खाता सं0 46 पर 25.18 बीघा, ग्राम चीकली में खाता सं0 5 पर 7.04 बीघा, ग्राम मोटला में खाता सं0 3 पर 6.14 बीघा, ग्राम मोटला में ही खाता सं0 2 पर 3.07 बीघा, ग्राम चीकली में खाता सं0 1 पर 2. 04 बीघा भूमि दर्ज है जिसका पक्षकारान के मध्य 28 वर्ष पूर्व से ही विभाजन हो रहा है, जिसके अनुसार पक्षकारान को निम्नप्रकार भूमि मिली है?

1. रतनलाल को ग्राम खानपुर की ख0नं0 2423, 2425 की 10.05 बीघा, ग्राम मोटला की ख0नं0 94/110 की 3.07 बीघा कुल 13.12 बीघा
2. मदनलाल को ग्राम चीकली की 7.04 बीघा ग्राम मोटला की 4.00 बीघा, 2.14 बीघा कुल 13.18 बीघा
3. कैलाशचंद को ग्राम खानपुर की ख0नं0 2301 की 12.19 बीघा, ख0नं0 2299/2791 की 0.11 बीघा कुल 13.10 बीघा
4. रामस्वरूप को ग्राम खानपुर की ग्राम खानपुर की ख0नं0 2301 की 12.19 बीघा, ख0नं0 2299/2791 की 0.11 बीघा कुल 13.10 बीघा

— प्रतिवादी 7, 8

6. आया प्रति0 7, 8 सदैव से ही खानपुर में निवास करते हैं और इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी खातेदार खानपुर में नहीं रहते। ग्राम चीकली में निवास करते हैं ?
— प्रतिवादी 7, 8

7. आया विगत 28 वर्षों से अपने हिस्से में आयी ख0नं0 2301 की आराजी पर प्रतिवादी 8 ने रहने का मकान बना रखा है, जिसमें परिवार सहित निवास करता है ?, अपने खर्चे से 2 नलकूप लगा रखे हैं जिनपर इनके नाम से 17 वर्ष पुराने विद्युत कनेक्शन हो रहे हैं जिनका विद्युत बिल भी प्रतिवादीगण ही अदा करते है साथ ही इस आराजी का लगान भी प्रतिवादीगण ही अदा करते आ रहे हैं ? –प्रतिवादी 7,8

8. आया वादग्रस्त आराजी ख0नं0 2301 के पश्चिमी तरफ ख0नं0 2299 सरकारी भूमि स्थित है जिस पर भी अप्रार्थीगण का सदैव से कब्जा होने से केवल प्रतिवादी 7, 8 के विरूद्ध ही तहसील द्वारा धारा 91एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है ?
— प्रतिवादी 7,8

9. आया 28 वर्ष से पक्षकारान के बीच आपसी सहमति से आराजी का विभाजन हो जाने से खातेदारान अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर प्रथक प्रथक काश्त कर रहे हैं ? इस दौरान आराजी को खाद डालकर उन्नत बनाया है तथा तीन तरफ पत्थरों का कोट करवाकर इसे जानवरों से सुरक्षित कर रखा है ? ऐसे में अब नये सिरे से विभाजन कानून सम्मत नहीं होने एवं विधि के विपरीत होने से वाद खारिज होने योग्य है तथा प्रति0 7, 8 ग्राम खानपुर की ख0नं0 2301 की 25.18

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

बीघा व ख0नं0 2299/2791 की 1.02 बीघा के तन्हा खातेदार टीनेंट घोषित होने के अधिकारी हैं ? — प्रतिवादी 7, 8

10. आया प्रतिवादी 1 लगा0 5 ग्राम खानपुर की ख0नं0 2301 की 25.18 बीघा आराजी में से अपने 5/36 हिस्से का विभाजन कराकर प्रथक खाते दर्ज कराने के अधिकारी हैं ? —प्रति0 नं0 1लगा0 5

अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में वादी Pw1 नवलकिशोर, Pw2 शांतिबाई गवाह Pw3 धमेंद्र के बयान दर्ज कराये तथा नकल जमाबंदी Exp1 प्रदर्श करायी गयी। अधिवक्ता वादी की सहमति से साक्ष्य वादी बंद की जाकर प्रतिवादीगण को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। अधिवक्ता प्रति0नं0 7, 8 ने अपने काउण्टर क्लेम के समर्थन में Dw1 प्रति0नं0 7 कैलाशचंद, गवाहान Dw2 उदयलाल, Dw3 कल्याण, Dw4 मांगीलाल, Dw5 सत्यनारायण, Dw6 विजयसिंह के बयान दर्ज कराये तथा दस्तावेज Exd1 लगा0 Exd103 प्रदर्श कराये गये। अधिवक्ता वादी की सहमति से साक्ष्य प्रति0 7, 8 बंद की जाकर अधिवक्ता प्रति0 1 लगा0 5 को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। अधिवक्ता प्रति0 1 लगा0 5 ने अपने काउण्टर क्लेम के समर्थन में Dw7 रानी, Dw8 मदनलाल के बयान दर्ज कराये। अधिवक्ता प्रतिवादी की सहमति से साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गयी तथा अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम खानपुर की ख0नं0 2301 रकबा 25.18 बीघा आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की है, जो पुश्तैनी सम्पत्ति है, जिसमें वादीगण 1 लगा0 4 का 1/9 हिस्सा, प्रति0 1 लगा0 5 का 5/36 हिस्सा व प्रति0 6 लगा0 8 का हिस्सा 3/4 दर्ज रेकार्ड था, परंतु प्रतिवादी रामस्वरूप के द्वारा अपने हिस्से 1/4 में से प्रतिवादी प्रकाशचंद को 1/259 हिस्सा व 1/259 हिस्सा प्रति0नं0 10 को बैचान कर दिया है। जबकि सहखातेदारों के मध्य विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। चूँकि उक्त वर्णित आराजी के अलावा वादीगण व प्रतिवादीगण के अन्य गांव में भी शामलाती खाते की आराजी स्थिति हैं वह भी अविभाजित है, परंतु प्रतिवादी रामस्वरूप के द्वारा इसमें से प्रति0नं0 9 प्रकाशचंद व प्रति0नं0 10 चौथमल को 1/259–1/259 हिस्से का बैचान करने से इसका पृथक से वाद पेश किया जा रहा है। उक्त आराजी के मेगा हाईवे से सटवा व आबादी क्षैत्र के नजदीक आ जाने से उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। इसलिये प्रतिवादीगण के मन में बदयांति आ गई है। इसलिये वह मोटी रकम लेकर अविभाजित आराजी में से रोड़ साईड की तरफ की बहुमूल्य भाग का प्रभावशाली व्यक्तियों को बाला–बाला ही बैचान करने पर आमादा हो रहा है। इससे मौके पर कब्जे को लेकर अतिक्रमण करने वालों के साथ लड़ाई झगड़ा होने की पूर्ण सम्भावना है और वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन द्रव्य में संम्भव नहीं होगा। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को रहन बैचान नहीं करें और प्रतिवादीगण के हिस्से पर बेजा दखल अंदाजी नहीं करें। आराजी शामलात में होने से पक्षकारों के मध्य सीमा विवाद बना रहता है तथा किसी सहखातेदार द्वारा उक्त आराजी का हस्तांतरण करने पर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। हमने राजस्व रेकार्ड की नकल पेश की है तथा गवाहान के बयान दर्ज कराये हैं जिनसे हमारा दावा साबित है। हमारा दावा डिक्री कर हमारा हिस्सा प्रथक किया जाकर कब्जा भी संम्भलाया जावे। साथ ही

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह विभाजन से पूर्व आराजी का रहन, बैचान निर्माण आदि नहीं करें।

विद्वान अधिवक्ता प्रति0 1 लगा0 5 ने अपनी बहस में जवाबदावा काउण्टर क्लेम में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि वादग्रस्त आराजी ख0नं0 2301 की 25.18 बीघा वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगा0 10 के शामलाती खाते दर्ज है, जो पुश्तैनी जायदाद है। इसमें प्रति0 1 लगा0 5 का 5/36 हिस्सा है, जिसको समस्त सह खातेदार शामिल में काश्त करते चले आये हैं। कीमत बढ़ जाने से प्रति0नं0 7, 8 के मन में बदयान्ति आ गई और प्रति0नं0 8 द्वारा बिना विभाजन कराये ही दो प्लाट प्रति0 नं0 9, 10 को बैचान कर दिया। केताओं द्वारा मन चाही जगह पर कब्जा करने के कारण अनावश्यक विवाद पैदा होंगे तथा खाता शामिल में होने के कारण सह खातेदारों के मध्य आये दिन वाद विवाद पैदा होते रहते हैं। राजस्व रेकार्ड एवं गवाहान के बयानों से हमारा काउण्टर क्लेम साबित है। अतः हमारा काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में से हमारे हिस्से 5/36 को प्रथक कर प्रथक खाते दर्ज किया जावे। इस आशय की सादिर डिक्री फरमाई जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने काउण्टर क्लेम के समर्थन में आर.आर.टी 2002(1) पेज 302 नारायण दत्त बनाम् महावीर प्रसाद, आर.आर.टी. 2012(1) पेज 524 रहीम बक्स बनाम् बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एण्ड अदर्स, आर.आर.टी. 2012(1) पेज 658 गंगासहाय बनाम् छाजू, आर.आर.टी. 2013(1) पेज 519 रामहेत एण्ड हेता बनाम् बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एण्ड अदर्स, आर.आर.टी. 2016–17 पेज 68 प्रभूलाल बनाम् छीत्तरलाल, आर.आर.टी. 2015(2) पेज 898 मनोहरलाल बनाम् बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अजमेर राजस्थान, आर.आर.टी. 2010(2) पेज 1423 नंदलाल बनाम् देवीशंकर की नजीर भी पेश की।

विद्वान अधिवक्ता प्रति0 7, 8 ने अपनी बहस में जवाबदावा काउण्टर क्लेम में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि वादीगण ने अपने दावे में 28 वर्ष पूर्व आपसी सहमति एवं पारिवारिक शांति बनाऐ रखने के लिये किये गये पारिवारिक समझौते का उल्लेख नहीं किया है, इन्होंने इस तथ्य को छिपाकर यह वाद पेश किया है। चूँकि खातेदारान के मध्य 28 वर्षों पूर्व आपसी सहमति से सम्पूर्ण आराजी का विभाजन हो गया था। इस कारण अब नये सिरे से विभाजन का वाद नहीं किया जा सकता है। अतः वाद स्वतः खारिज होने योग्य है। खातेदारान के खाते में ग्राम खानपुर की जमाबंदी सं0 2067–70 खतोनी सं0 47 की 2 किता की 10.05 बीघा, खतौनी सं0 501 की ख0नं0 2299/2791 की 1.02 बीघा, खतौनी सं0 46 की 25.18 बीघा, ग्राम चीकली की जमाबंदी सं0 5 की 2 किता रकबा 7.04 बीघा, ग्राम मोटला की जमाबंदी सं0 2068–71 की खतौनी सं0 3 की 6.14 बीघा, खतौनी सं0 2 की 3.07 बीघा, ग्राम चीकली की जमाबंदी सं0 2066–69 की खतौनी सं0 6 की 2.04 बीघा पूरी आराजी का खातेदारान के बीच आपसी सहमति से गत 28 वर्षों से इस प्रकार विभाजन हो रहा है, जिस पर संबंधित खातेदार 28 वर्ष से अधिक समय से काबिज काश्त है। इस पारिवारिक समझौते के अनुसार ग्राम खानपुर की ख0नं0 2423 तथा 2425 की 10.05 बीघा, ग्राम मोटला की ख0नं0 94/110 की 3.07 बीघा कुल 13.12 बीघा रतनलाल व उसके वारीसान के कब्जे में गत 28 वर्ष से है। ग्राम चीकली की 7.04 बीघा, ग्राम मोटला की 4.00 बीघा एवं 2.14 बीघा कुल 13.18 बीघा भूमि मदनलाल के कब्जे में गत 28 वर्षों से है। ग्राम खानपुर की ख0नं0 2301 की 12.19 बीघा व ख0नं0 2299/2791

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

की 0.11 बीघा कुल 13.10 बीघा कैलाशचंद के कब्जे में गत 28 वर्षों से है व ग्राम खानपुर की ख0नं0 2301 की 12.19 बीघा व ख0नं0 2299/2791 की 0.11 बीघा कुल 13.10 बीघा रामस्वरूप के कब्जे में गत 28 वर्षों से है। इसी प्रकार आपसी सहमति से गत 28 वर्षों से भी ज्यादा समय से मौके पर विभाजन हो रहा है, परंतु रिकार्ड में सभी खातेदारान का नाम सभी भूमियों में अंकित हो रहा है, जो दुरूस्त होने योग्य है तथा कब्जे अनुसार भूमि खाते दर्ज होना न्याय संगत है। हम प्रति0नं0 7,8 सदैव से ही खानपुर में निवास करते हैं और इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी खातेदार खानपुर में नहीं रहते तथा ग्राम चीकली में निवास करते हैं। प्रति0नं0 8 ने मद नं0 1 में वर्णित आराजी में गत 28 वर्षों से रहने का मकान बना रखा है, जिसमें अपने परिवार सहित निवास करता है तथा अपने खर्चे से दो ट्यूबवेल दोनों प्रतिवादीगण ने लगा रखे हैं। इनपर पर 17 वर्ष पुराने विद्युत कनेक्शन हो रहे हैं जो दोनों प्रतिवादीगण के नाम से हैं, जिनका बिल भी प्रतिवादीगण ही अदा करते हैं। वादीगण ने मकान बनाते वक्त किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की। वादीगण ने अपने वाद में इन सभी समस्त तथ्यों को छुपाया है। ख0नं0 2301 के पश्चिमी तरफ ख0नं0 2299 की सरकारी भूमि स्थित है, जिस पर भी अप्रार्थीगण का सदैव से कब्जा होने से केवल प्रार्थीगण के विरूद्ध ही तहसील द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती रही है। इससे भी प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी पर हम सदैव से काबिज हैं। प्रतिवादीगण द्वारा सम्पूर्ण भूमि के विभाजन का वाद पेश नहीं किया गया है। विगत 28 वर्षों से अब तक आराजी का लगान भी प्रति0 7, 8 ही अदा करते आ रहे हैं, हमने लगान की रसीदात पेश है। गत 28 वर्षों से खातेदारान के बीच आपसी सहमति से विभाजन हो जाने तथा अपने अपने हिस्से की भूमि पर प्रथक प्रथक काबिज होने के कारण नये सिरे से विभाजन कानून सम्मत नहीं होने तथा विधि विपरीत होने से वाद खारिज होने योग्य है। हमने विवादित भूमि को खाद डालकर उपजाउ बनाया है तथा पत्थरों की बाउण्ड्री की हुई है, जिसमें हमारा काफी खर्चा हुआ है। आज बदनियती से वादीगण निरर्थक वाद पेश कर अपना हक जमा रहे हैं, जो चलने योग्य नहीं है। हमने राजस्व रेकार्ड सहित 103 दस्तावेज पेश किये हैं तथा गवाहान में पड़ौसी काश्तकारों के बयान कराये हैं, जिनसे हमारा काउण्टर क्लेम भली प्रकार साबित हैं। हमारे काउण्टर क्लेम में वर्णित तथ्यों को वादीगण एवं उनके गवाहान एवं प्रति0 1 लगा0 5 के गवाहान ने भी अपनी जिरह में स्वीकार किया है। अतः वादीगण का वाद खारिज करें तथा हमारा काउण्टर क्लेम स्वीकार कर डिक्री करें तथा ग्राम खानपुर की ख0नं0 2301 की 25.18 बीघा तथा ख0नं0 2299/2791 की 1.02 बीघा भूमि से वादीगण तथा अन्य प्रतिवादीगण के नाम खाते से खारिज किये जाकर प्रति0 कम 7–8 को तन्हा खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे। अधिवक्ता वादी ने अपने काउण्टर क्लेम के समर्थन में ए.आई.आर. 1976 सु.को. 807:(1976) 3 सु.को.119 काले और अन्य बनाम चकबंदी उप निदेशक, आर.आर.डी. 1978 पेज 118 अनूपसिंह बनाम् स्टेट ऑफ राजस्थान, आर.आर.डी.2003 पेज 20 अमीचंद बनाम् एल.आर.एस. ईश्वर राम, आर.एल.डब्लू. 2008(2) आर.जे.राधेश्याम बनाम् भंवरलाल, आर.आर.डी. 1985 पेज 694 रोरा बनाम् नारायण, 2014 डी.एन.जे.(एस.सी.) पेज 233 यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम् वासावी कोऑप. हाउसिंग सोसा0 लि0 एण्ड अदर्स की नजीरें भी पेश की।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। तनकीवार निर्णय निम्नप्रकार पारित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

1. आया ग्राम खानपुर की ख0नं0 2301 की 25.18 बीघा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की स्थित है। यह पुश्तैनी बाप दादाओं की सम्पत्ति है ? – वादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। Exp1 वादी द्वारा प्रस्तुत ग्राम खानपुर की नकल जमाबंदी सं0 2067–70 की खतौनी सं0 नई 46 पुरानी 17 है, जिसमें ख0नं0 2301 की 15.18 बीघा आराजी वादी एवं प्रति0 नं0 1 लगा0 10 के शामलाती खाते में दर्ज है। वादी ने कब्जे काश्त बाबत् कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है ओर न ही ऐसा कोई लिखिल साक्ष्य पेश किया है, जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी बाप दादाओं की सम्पत्ति है। इस प्रकार वादी ने इस तनकी को आंशिक रूप से साबित किया है। ऐसे में यह तनकी आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. आया वादग्रस्त आराजी में वादीगण 1 से 4 का 1/9 हिस्सा, प्रति0 नं0 1 से 5 का 5/36 हिस्सा, प्रति0 नं0 6 से 8 का 3/4 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था। प्रति0नं0 8 द्वारा अपने हिस्से में से 1/259 व 1/259 हिस्से का बैचान प्रकाशचंद व चौथमल को बैचान कर दिया है ? – वादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। Exp1 वादी द्वारा प्रस्तुत ग्राम खानपुर की नकल जमाबंदी सं0 2067–70 की खतौनी सं0 नई 46 पुरानी 17 की ख0नं0 2301 की 15.18 बीघा आराजी में रतनलाल के वारीसान का 1/4 हिस्सा दर्ज है, जिसमें वादी नं0 1/1 लगा0 1/4 व वादी नं0 2 लगा0 4 का प्रत्येक का 1/36, 1/36 हिस्सा अर्थात वादी नं0 1 लगा0 4 का कुल 1/9 हिस्सा बनता है, इसी प्रकार रतनलाल के शेष वारीसान प्रति0 1 लगा0 5 का प्रत्येक का 1/36, 1/36 कुल 5/36 हिस्सा बनता है। इसी प्रकार प्रति0 नं0 6 व 7 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। प्रति0नं0 8 रामस्वरूप का 255/1036 हिस्सा, प्रति0नं0 9 प्रकाशचंद का 1/259 हिस्सा व प्रति0नं0 10 चौथमल का 1/259 हिस्सा दर्ज है। प्रति0नं0 9 व 10 का हिस्सा प्रति0नं0 8 के 1/4 हिस्से में से कम हुआ है। इस प्रकार वादी ने इस तनकी को बखूबी साबित कराया है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में एवं खिलाफ प्रति0 7, 8 निर्णित की जाती है।

3. आया आराजी शामलाती खाते में दर्ज होने के कारण अक्सर पक्षकारों के मध्य सीमा विवाद बना रहता है ? – वादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने ऐसा कोई लिखित साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे यह सबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी शामलाती खाते में दर्ज होने के कारण अक्सर पक्षकारों के मध्य सीमा विवाद बना रहता हो। साथ ही वादी एवं उसके गवाह अपने बयानों की जिरह में भी यह नहीं कहते की वादग्रस्त आराजी के संबंध पक्षकारों के मध्य कभी सीमा विवाद हुआ हो। इस प्रकार वादीगण इस तनकी को लिखित एवं मौखिक साक्ष्य से साबित करने में विफल रहे हैं। ऐसे में यह तनकी खिलाफ वादीगण एवं पक्ष में प्रति0 7, 8 निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

4. आया वादीगण वादग्रस्त आराजी के सह खातेदार होने से अपने 1/9 हिस्से का विभाजन कराने एवं कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्व विभाजन से पूर्व रहन बैचान नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के भी अधिकारी हैं ? – वादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। Exp1 ग्राम खानपुर की नकल जमाबंदी सं0 2067–70 की खतौनी सं0 नई 46 पुरानी 17 के अनुसार ख0नं0 2301 की 15.18 बीघा आराजी में वादीगण 1/9 हिस्से के सह खातेदार दर्ज हैं एवं वादीगण द्वारा इसी खसरा नम्बर की आराजी में से अपने हिस्से का विभाजन चाहने का यह वाद पेश किया है। साथ ही यह प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन से पूर्व रहन बैचान नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा भी चाहते हैं। इसी प्रकार प्रति0नं0 1 लगा0 5 ने काउण्टर क्लेम पेश कर ग्राम खानपुर की ख0नं0 2301 की 25.18 बीघा आराजी में से अपने 5/36 हिस्से का विभाजन कराकर प्रथक खाते दर्ज कराने का अनुतोष चाहा है।

प्रति0नं0 7, 8 ने काउण्टर क्लेम पेश किया है कि ग्राम खानपुर में कमशः Dw6 खाता सं0 47 की ख0नं0 2423 की 9.14 बीघा, ख0नं0 2425 की 0.11 बीघा कुल 2 किता की 10.05 बीघा, Dw7 खाता सं0 501 की ख0नं0 2299/2791 की 1.02 बीघा, Dw5 खाता सं0 46 की 25.18 बीघा, Dw1 ग्राम चीकली में खाता सं0 5 की ख0नं0 38 की 3.11 बीघा, ख0नं0 39 की 3.13 बीघा कुल 2 किता की 7.04 बीघा, Dw2 ग्राम मोटला में खाता सं0 3 की ख0नं0 33 की 2.14 बीघा, ख0नं0 94/106 की 1.13 बीघा, ख0नं0 96 की 2.07 बीघा कुल 3 किता की 6.14 बीघा, Dw3 ग्राम मोटला में ही खाता सं0 2 की ख0नं0 94/110 की 3.07 बीघा, Dw6 ग्राम चीकली में खाता सं0 1 की ख0नं0 136 की 2.04 बीघा वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगा0 8 के शामलाती खाते में दर्ज है, जिसका पक्षकारान के मध्य 28 वर्ष पूर्व से ही विभाजन हो रहा है, जिसके अनुसार रतनलाल को ग्राम खानपुर की ख0नं0 2423, 2425 की 10.05 बीघा, ग्राम मोटला की ख0नं0 94/110 की 3.07 बीघा कुल 13.12 बीघा, मदनलाल को ग्राम चीकली की 7.04 बीघा ग्राम मोटला की 4.00 बीघा, 2.14 बीघा कुल 13.18 बीघा, कैलाशचंद को ग्राम खानपुर की ख0नं0 2301 की 12.19 बीघा, ख0नं0 2299/2791 की 0.11 बीघा कुल 13.10 बीघा व रामस्वरूप को ग्राम खानपुर की ग्राम खानपुर की ख0नं0 2301 की 12.19 बीघा, ख0नं0 2299/2791 की 0.11 बीघा कुल 13.10 बीघा आराजी मिली है।

उक्तानुसार खातेदारान के बीच में आपसी सहमति से गत 28 वर्षों से भी ज्यादा समय से विभाजन मौके पर हो रहा है, परंतु रिकार्ड में सभी खातेदारान का नाम सभी भूमियों में अंकित हो रहा है, जो दुरूस्त होने योग्य है तथा कब्जे अनुसार भूमि खाते दर्ज होना न्याय संगत है। प्रति0नं0 7, 8 सदैव से ही खानपुर में निवास करते हैं और इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी खातेदार खानपुर में नहीं रहते तथा ग्राम चीकली में निवास करते हैं। प्रति0नं0 8 ने मद नं0 1 में वर्णित आराजी में गत 28 वर्षों से रहने का मकान बना रखा है, जिसमें अपने परिवार सहित निवास करता है तथा अपने खर्चे से दो नलकूप दोनों प्रतिवादीगण ने लगा रखे हैं। दोनों पर विद्युत कनेक्शन हो रहे हैं जो

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

दोनों प्रतिवादीगण के नाम से हैं। विद्युत कनेक्शन लगभग 17 वर्षों पुराने हैं, जिनका विद्युत बिल प्रतिवादीगण ही अदा करते हैं। वादीगण द्वारा मकान बनाते वक्त किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गई, वादीगण ने अपने वाद पत्र में उक्त समस्त तथ्यों को छुपाकर झूँठा वाद पेश किया है, जो स्वतः ही खारिज होने का मोहताज है। ख0नं0 2301 के पश्चिमी तरफ ख0नं0 2299 की सरकारी भूमि स्थित है, जिस पर भी अप्रार्थीगण का सदैव से कब्जा होने से केवल प्रार्थीगण के विरूद्ध ही तहसील द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती रही है। प्रतिवादीगण द्वारा सम्पूर्ण भूमि के विभाजन का वाद पेश नहीं किया गया है। इस कारण भी प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। प्रति0 7, 8 के अलावा अन्य किसी भी खातेदार ने आराजी मुतनाजा का लगान अदा नहीं किया है। प्रति0 7, 8 ने ही गत 28 वर्षों से अब तक भूमि का लगान राज जमा कराया है। गत 28 वर्षों से पक्षकारान खातेदारान के बीच आपसी सहमति से विभाजन हो जाने तथा खातेदारान के अपने अपने हिस्से की भूमि पर प्रथक प्रथक काबिज होने के कारण नये सिरे से विभाजन कानून सम्मत नहीं होने तथा विधि विपरीत होने से वाद खारिज होने योग्य है। प्रति0 7, 8 ने विवादित भूमि को खाद डालकर उन्नत बना रखा है तथा तीन तरफ पत्थरों का कोट करवा कर आराजी को जानवरों से सुरक्षित कर रखा है, जिसमें भी प्रतिवादीगण को काफी व्यय करना पड़ा है। अब बदनियती से वादीगण निरर्थक वाद पेश कर अपना हक जमा रहे हैं, जो चलने योग्य नहीं है। वाद वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जाकर कस्बा खानपुर के माल की खतौनी सं0 46 की ख0नं0 2301 की 25.18 बीघा तथा ख0नं0 2299/2791 की 1.02 बीघा भूमि से वादीगण तथा अन्य प्रतिवादीगण के नाम खाते से खारिज किये जाकर प्रति0 कम 7–8 को तन्हा खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे।

प्रति0 7, 8 ने अपने काउण्टर क्लेम के समर्थन में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की ग्राम खानपुर, चीकली व मोटला की आराजी की जमाबंदियात Dw1 लगा0 Dw8, तहसीलदार खानपुर द्वारा एल0आर0एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिकमी रामस्वरूप, कैलाशचंद के विरूद्ध नोटिस Dw8 लगा0 Dw40, लगान एवं पेनल्टी जमा की रसीदें Dw41 लगा0 Dw79, रामस्वरूप के नाम से जारी नलकूप कनेक्शन के विद्युत बिल एवं इन बिलों की जमा राशि की रसीदें Dw80 लगा0 Dw102 प्रस्तुत की हैं तथा Dw1 प्रति0नं0 7 कैलाशचंद, गवाहान Dw2 उदयलाल, Dw3 कल्याण, Dw4 मांगीलाल, Dw5 सत्यनारायण, Dw6 विजयसिंह के बयान दर्ज कराये हैं।

वहीं Pw1 वादी नवलकिशोर स्वंय अपने बयानों की जिरह में कहता है कि बनवारीलाल जी की मृत्यु हुई तब तक वह चीकली में ही रहते थे। बनवारीलाल जी के उत्तराधिकारी चीकली में ही रहते हैं। रतनलाल जी चार भाई रतनलाल, मदनलाल, कैलाशचंद, रामस्वरूप थे। मदनलाल चीकली में रहता है। लगभग 40 वर्षों से कैलाशचंद व रामस्वरूप खानपुर में ही रहते हैं। खानपुर के अतिरिक्त चीकली, मोटला में जमीन होना स्वीकार करता है। यह आगे कहता है कि मोटला की जमीन में ट्यूबवेल लगा हुआ है, जो शामलाती में है, इस पर विद्युत कनेक्शन नहीं हो रहा है। चीकली की जमीन पर भी ट्यूबवेल लगा हुआ है, जिसपर विद्युत कनेक्शन हो रहा है, जो मदनलाल के नाम है, यह 8–10 साल से है। खानपुर की जमीन में भी कनेक्शन है, जो नलकूप लगे हुये हैं उनके विद्युत कनेक्शन कैलाशचंद व रामस्वरूप जी के नाम है, 15 साल से

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

भी ज्यादा समय से खानपुर की जमीन नलकूप पर विद्युत कनेक्शन हो रहा है यह सही है कि चीकली के नलकूप का बिल मदनलाल जी करते थे, खानपुर का बिल कैलाशजी व रामस्वरूप जी करते थे। आगे यह कहता है खानपुर की जमीन का लगान मेरे पिताजी या मैंने जमा नहीं कराया, खानपुर की जमीन के पास हमारा ट्रेस पासर नहीं है। खानपुर की जमीन में मकान बना हुआ है जो 10–12 साल से बना हुआ है, उस मकान में रामस्वरूप जी रहते हैं। मकान बनाने का भुगतान रामस्वरूप ने किया था। इस जमीन पर 15 साल से पत्थरों की कोट हो रहा है, पत्थरों के कोट का खर्चा सभी ने भुगता था, कितना खर्चा आया था याद नहीं है, कोट जब हुआ मेरे पिताजी की मृत्यु हो गयी थी, तब मेरी उम्र 8–10 साल थी। मदन जी, कैलाश जी, रामस्वरूप जी, ओमप्रकाश जी ने कितना कितना खर्चा किया याद नहीं है, पत्थर किसने डाले मुझे याद नहीं है। खानपुर की जमीन चीकली व मोटला की जमीन के मुकाबले निम्न स्तर, कम उपजाउ की है।

Pw2 वादी नं0 4 शांतिबाई अपने बयानों की जिरह में कहती है कि मैं खानपुर में कभी नहीं रही। जमीन भी हम चीकली में ही काश्त करते हैं। अभी हम देदिया के माल की 10.00 बीघा व चीकली के माल की 3.00 बीघा जमीन हांकते हैं। मेरे पति की मृत्यु हुये 20–25 बरस हो गये हैं। मेरे पति मरे जब से तो प्रतिवादीगण रामस्वरूपजी वगै0 ने खानपुर की जमीन नहीं हांकने दी। मदनलाल चीकली के माल की 16.00 बीघा जमीन हांकता है। यह भी इसे करीब 20–25 बरस से हांक रहा है। मदनलाल ने इसमें 15–20 बरस से ट्यूबवेल भी लगा रखा है व बिजली का कनेक्शन भी ले रख है। खानपुर की जमीन में भी 15–20 बरस से मेरे देवर कैलाश व रामस्वरूप ने ट्यूबवेल लगा रखा है तथा बिजली का बिल भी यही देते हैं। खानपुर की जमीन पर 25–30 साल से रामस्वरूप वगै0 ने पत्थरों के कोट की बाउण्डरी करा रखी है। रामस्वरूप ने 10–15 बरस से खानपुर की जमीन में मकान भी बना रखा है। खानपुर की जमीन का करता रामस्वरूप देता है। चीकली की जमीन का करता मदन जी देते हैं। आगे वादनी यह भी कहती है कि खानपुर की तेल फेक्ट्री के सामने की 16.00 बीघा जमीन हल्की थी, इसमें पहले कुछ भी नहीं होता था। यह भी सही है कि रामस्वरूप , कैलाश व मेरे पति के बीच यह सहमति हुई थी कि तुम पढ़ लिख गये हो व नौकरी करते हो, इसलिये खानपुर की जमीन जो हल्की है तुम रखो व चीकली की जमीन हम रखेंगे।

Pw3 वादीगण का गवाह धमेंद्र अपने बयानों की जिरह में कहता है कि मैं देदिया के माल की जमीन को मुनाफे से जोता हूँ जिसको ओमप्रकाश मुझे जुताता है। पिछले 4–5 साल से खानपुर की जमीन में रामस्वरूप ने मकान बना रखा है। इस मकान में रामस्वरूप के अलावा और कोई भाई नहीं रहता। यह आगे कहता है कि जमीन पर विद्युत कनेक्शन किसके नाम हो रहा है, मुझे पता नहीं है। लगान खानपुर की जमीन का कौन देता है, मुझे पता नहीं है। खानपुर में मील के सामने वाली जमीन के नम्बर मुझे पता नहीं है। इसका रकबा 25.18 बीघा है। इसके कितने खसरा नम्बर व टुकड़े हैं, मुझे याद नहीं है।

Dw1 प्रति0नं0 7 कैलाशचंद अपने बयानों की जिरह में कहता है कि हमारे खाते में तीन जगह जमीन है, सभी जगह हम सहःखातेदार हैं। खानपुर में जमीन

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

थी जो सन् 1984 में बड़े भाई ने बेच दी। खानपुर की विवादग्रस्त आराजी में कुआ है,यह कुआं रतनलाल जी जिंदा थे, तब का है। कुआं मैंने खुदवाया था। मैंने अकेले ने लोन लेकर कुआ खुदवाया था। रतनलाल जी जिंदा थे तब शामलाती काश्त थी। हमारा बंटवारा रतनलाल जी के मरने के बाद एक साल बाद हुआ था। यह गलत है कि बंटवारे में से इस नम्बर में से वादीगण को दी हो, यह सही है कि रतनलाल के लड़कों को हमने शादी में आर्थिक मदद की थी। रतनलाल जी का ओसर मैंने ही किया था। यह सही है कि रतनलाल जी के मरने से पहले मैं ओर मेरा भाई रामस्वरूप नौकरी लग गये थे। इस जमीन में पहला विद्युत कनेक्शन रामस्वरूप के नाम था। यह कहना गलत है कि विद्युत कनेक्शन में मैंने खर्चा नहीं दिया हो। टूयूबवेल का खर्चा मैंने ही दिया है, रतनलाल के लड़कों को किसी ने हिस्सा नहीं दिया मैंने ही दिया था। इस जमीन पर कोट हो रहा है कोट मैंने करवाया है। यह कोट मैंने 27–28 साल पहले करवाया था। विद्युत कनेक्शन करवाया उसका सहयोग किसी ने नहीं किया मैंने ही किया था। यह आगे कहता है ग्राम चीकली में मदनलाल के पास जो जमीन है, जिसमें टूयूबवेल है, विद्युत कनेक्शन है, मदनलाल जी के नाम ही कनेक्शन है। 1977 में जब कुआं खुदवाया तब उसमें पानी था, एक साल बाद ही गिर गया था, झादा हो गया था। देदिया के माल की जमीन ओमप्रकाश व उसके भाई देखते हैं। रतनलाल के पहले मैं देखता था। विवादित आराजी में दूसरा टूयूबवेल खुदवाया वह मैंने ही खुदवाया था। रामस्वरूप ने उसके हिस्से में मकान बना रखा है, मकान बनाये 12–15 साल हो गये हैं। सरकारी जमीन है वह दोनों भाईयों के नाम है। इस जमीन को रतनलाल जी जिन्दा थे तब से हम ही कर रहे थे। सेटलमेंट से पहले यह जमीन ज्यादा थी किन्तु सेटलमेंट के बाद 1.12 बीघा जमीन कम हो गयी, जो सरकारी दर्ज हो गयी एवं आराजी का जुर्माना सन् 1999 से हम देते आ रहे हैं। गांव चीकली में बनवारी रहता था उसकी मृत्यु हो गयी, उसके बच्चे रहते हैं, मुरारी झालावाड़ रहता है।

प्रति0नं0 7, 8 कैलाशचंद व रामस्वरूप का गवाह Dw2 उदयलाल अपने बयानों की जिरह में कहता है विवादित आराजी में पहले कुआं था। उससे सारे खेतों को पानी पिलाते थे। टूयूबवेल लगाने से पहले कुऐ से ही सिंचाई करते थे। यह कुआं हमारे सामने रामस्वरूप व कैलाश ने मिलकर खुदवाया था। कुऐ के पैसे भी दोनों ने ही दिये थे। मेरा खेत इनके खेत की मेर के अड़वां ही है। दोनों भाई नोकरी करते थे। यह आगे कहता है कि यह गलत है कि इस भूमि को रतनलाल, मदनलाल काश्त करते हो, मैंने तो मेरी जिन्दगी में रामस्वरूप व कैलाश ही काश्त करते देखे हैं। इस जमीन पर पत्थरों का कोट रामस्वरूप व कैलाश जी ने करवाया था। कोट कितने साल पहले कराया मुझे याद नहीं है।

प्रति0नं0 7, 8 कैलाशचंद व रामस्वरूप का गवाह Dw3 कल्याण अपने बयानों की जिरह में कहता है, रामस्वरूप व कैलाश दो भाई हैं, इनके अलावा कितने भाई हैं मुझे पता नहीं है। विवादित आराजी में कुआं खुदा हुआ है जो मेरे सामने ही खुदा था। आराजी को दोनों काश्त करते हैं, पर मुझे पता नहीं है कि किस दिशा में कौन काश्त करता है।

प्रति0नं0 7, 8 कैलाशचंद व रामस्वरूप का गवाह Dw4 मांगीलाल अपने

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

बयानों की जिरह में कहता है, रामस्वरूपजी व कैलाश जी दोनों को जानता हूँ। इस जमीन में कुआं था, इन्होंने ही कुआं खुदवाया था। 30–35 सालों से दोनों भाई खेती करते आ रहे हैं इसके पहले कौन करता था मुझे पता नहीं है।

प्रति0नं0 7, 8 कैलाशचंद व रामस्वरूप का गवाह Dw5 सत्यनारायण उम्र 30 वर्ष अपने बयानों की जिरह में कहता है, मैं रामस्वरूपजी व कैलाश जी को करीब 15 साल से जानता हूँ। 15 साल पहले इस जमीन को कौन काश्त करता था, मुझे पता नहीं है, 15 साल का था तब से इनके यहां काम करता हूँ। एक टूयूबवेल मेरे सामने लगायी थी ओर एक टूयूबवेल कब लगायी मुझे पता नहीं है। मैंने दो भाई देखे हैं इनका गांव कौनसा है, मुझे पता नहीं, खानपुर ही याद है। लाईट का बिल रामस्वरूपजी ही देते हैं, जब बिल आता है, रामस्वरूप जी ही जमा करते हैं।

प्रति0नं0 7, 8 कैलाशचंद व रामस्वरूप का गवाह Dw6 विजयसिंह उम्र 47 वर्ष अपने बयानों की जिरह में कहता है, मैं इनको बचपन से जानता हूँ। इनका गांव खानपुर ही है। इनका खेत व हमारा खेत पास–पास है। मेरे को दो भाईयों की याद है, रामस्वरूप जी व कैलाश जी हैं। इनके अलावा कितने भाई हैं याद नहीं है। पत्थरों का कोट कैलाशजी ने करवाया है। उक्त विवादित आराजी पर खेती बाड़ी दोनों भाई ही करते हैं। मैंने ओर लोगों को काश्त करते हुये नहीं देखा।

Dw7 प्रति0नं0 5 रानी उम्र 35 वर्ष अपने बयानों की जिरह में कहती है कि मेरी शादी हुये 20 बरस हो गये। यह सही है कि मेरी शादी 15 बरस की उम्र में हो गयी थी। यह आगे कहती है कि यह कहना गलत है कि मुझे हमारी पूरी जमीन का ज्ञान नहीं हो। अज कहा 6 बीघा ग्राम मोटला में, 7 बीघा चीकली में, 25 बीघा खानपुर व 10 बीघा ग्राम देदिया के माल में हमारी जमीन मौजूद है। यह कुल 50 बीघा होती है। ग्राम देदिया के माल की जमीन को अभी हम हांकते हैं। अर्थात हम रेखाबाई, सुशीलाबाई, मंजूबाई और मैं रानीबाई सभी मिलकर ग्राम देदिया की 10 बीघा जमीन हांकते हैं। इसी प्रकार ग्राम चीकली की केवल 3 बीघा जमीन को हम हांकते हैं। आगे यह अपनी जिरह में यह भी कहती है कि यह सही है कि जब से मेरा विवाह हुआ है, तब से ही हम इस प्रकार ही जमीन को काश्त कर रहे हैं। ग्राम चीकली के माल की जमीन सूखी है, पास के काश्तकार से पानी लेकर सिंचाई करते हैं। मेरे काका जी मदनलाल जी ने 2–3 बरस पहले टूयूबवेल में बिजली का कनेक्शन कराया है। मेरे काकाजी मदनलाल जी भी 13.00 बीघा ग्राम चीकली में हांकते हैं। बिजली का कनेक्शन 8 बीघा में है। यह भी मदनलाल जी के नाम ही है। इस जमीन को मेरे काकाजी मदनलाल जी मेरे विवाह के बाद से ही इस जमीन को काश्त कर रहे हैं। मेरी सभी बहिनों का विवाह हो गया है तथा सभी ससुराल मे रहती हैं। यह सही है कि हमारे हिस्से की जमीन ग्राम चीकली व ग्राम देदिया की को ओमप्रकाश जी काश्त कराते हैं। यह सही है कि खानपुर की जमीन में बिजली का कनेक्शन 15–16 बरस से काकाजी रामस्वरूपजी के नाम से है। यह आगे अपनी जिरह में यह भी कहती है कि यह कहना गलत है कि कुल जमीन का बंटवारा इन सभी भाईयों के बीच मेरे विवाह से पहले हो गया हो। अज कहा बंटवारा विवाह के बाद हुआ था। यह बंटवारा मेरे विवाह के 4–5 बरस बाद हुआ था, यह सही है।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

प्रति0नं0 1 लगा0 5 का गवाह Dw8 मदनलाल (प्रति0नं0 6) उम्र 80 साल अपने बयानों की जिरह में कहता है कि हम चार भाई हैं बड़े वाले रतनलाल जी की मृत्यु हो चुकी है, 36 बीघा खानपुर के माल में है ओर 9–10 बीघा चीकली के माल में है। हमारे पिताजी हम छोटे छोटे थे जब ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उस समय मेरी उम्र 13–14 साल थी। उसके बाद काम काज हमने ही संम्भाला था, पिताजी के फौत होने के बाद खेती बाड़ी मैं और मेरे बड़े भाई सा0 रतनलाल जी करते थे। हमारे सारी जमीन हम दोनों भाई रतनलाल और मैं करते थे। हमारे दोनों छोटे भाई पढ़ते थे। उसके बाद दोनों नौकरी करने लग गये थे। इन दोनों भाईयों ने नौकरी से पेंशन होने के बाद खेती करने लगे थे। उसके पहले हम दोनों भाई ही खेती करते थे। यह आगे कहता है कि टूयूबवेल गांव की मैंने लगायी थी और यहां की इन्होंने लगायी थी। मैं जन्म से ही चीकली रहता हूँ, मेरे चीकली में 7 बीघा जमीन कब्जे में है व मोटला में 2 बीघा कुल 9 बीघा कब्जे में है। इस जमीन को हमने जन्म से ही हांकी है। खानपुर की जमीन को रतनलाल जी के बेटे हांकते हैं। मेरे बड़े भाई सा0 को गुजरे कितने बरस हुये मुझे पता नहीं है। रतनलाल जी सन् 86 में मरे हो तो मुझे पता नहीं है। यह आगे कहता है– यह बात सही है कि 20 साल से मील के सामने वाली जमीन में टूयूबवेल व बिजली का कनेक्शन हो रहा है, मुझे पता नहीं है कि कनेक्शन रामस्वरूप के नाम है अथवा नहीं। चीकली की जमीन के अड़वां मैंने चरागाह जमीन फाड़ रखी है उसका जुर्माना भी मैं ही देता हूँ। मैंने खानपुर के बिजली कनेक्शन का बिल अदा नहीं किया। आगे कहता है कि मेरा दादा रतनलाल मरा उसके 4–5 साल तक जमीन हांकी थी, जमीन के नम्बर मुझे याद नहीं हैं। यह कहना गलत है कि बड़ा भाई होने के नाते अच्छी अच्छी जमीन मैंने रख ली हो और खराब जमीन रामस्वरूप व कैलाश ने रख ली हो। अज खुद कहा रामस्वरूप व कैलाश ने यही जमीन रखी, 50 साल से इस जमीन को संम्भला रखी थी। आगे मदनलाल यह भी कहता है कि मील के सामने वाली जमीन में रामस्वरूप ने मकान बना रखा है, 10–12 साल पहले मकान बनाया था। इस जमीन में एक टूयूबवेल रामस्वरूप ने व एक टूयूबवेल कैलाश ने लगायी थी।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रति0 नं0 7, 8 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी Exd1 लगा0 Exd 7, नोटिस धारा 91 ख0नं0 2299 ग्राम खानपुर Exd8 लगा0 Exd40, जुर्माना व लगान की रसीदात Exd41 लगा0 Exd79, बिजली बिल व जमा की रसीदात Exd80 लगा0 Exd102 एवं वादीगण के गवाह Pw1 लगा0 Pw3, प्रति0 नं0 7, 8 के गवाह Dw1 लगा0 Dw6, प्रति0 1 लगा0 5 के गवाह Dw7 लगा0 Dw8 से यह साबित होता है कि किशनलाल की संतान रतनलाल, मदनलाल, कैलाशचंद, रामस्वरूप के मध्य आपसी सहमति एवं पारिवारिक व्यवस्था बनाये रखने के लिये 25 से 28 वर्ष पूर्व पारिवारिक समझौता हुआ है जिसके अनुसार रतनलाल को ग्राम खानपुर की ख0नं0 2423, 2425 की 10.05 बीघा, ग्राम मोटला की ख0नं0 94/110 की 3.07 बीघा कुल 13.12 बीघा, मदनलाल को ग्राम चीकली की 7.04 बीघा ग्राम मोटला की 4.00 बीघा, 2.14 बीघा कुल 13.18 बीघा, कैलाशचंद व रामस्वरूप को ग्राम खानपुर की ख0नं0 2301 की 25.18 बीघा, ख0नं0 2299/2791 की 1.02 बीघा कुल 27.00 बीघा आराजी मिली है और वर्तमान में उपरोक्तानुसार ही सह खातेदार अपनी–अपनी आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। वादीगण व प्रति0 1 लगा0 5 ने ग्राम चीकली, मोटला व खानपुर में उनको पारिवारिक विभाजन में मिली जमीन को सिंचाई के साधन विकसित कर उन्नत बनाया है। वहीं प्रति0नं0 7, 8 ने भी 25 से 28 वर्ष पूर्व उनको पारिवारिक

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

विभाजन में मिली ग्राम खानपुर की 27.00 बीघा आराजी को सिंचाई के साधन स्थापित कर उपजाउ बनाया है, पत्थरों की बाउण्ड्री कर इसे सुरक्षित किया है तथा रामस्वरूप ने अपने रहने के लिये मकान भी बना रखा है। यहां वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगा0 8 के शामलाती खाते में ग्राम खानपुर, ग्राम चीकली व ग्राम मोटला में Dw1(Pw1) लगा0 Dw7 कुल 7 जमाबंदीयात में 10 खसरा की 56.14 बीघा आराजी स्थित है, जिसमें से वादीगण 1 लगा0 4 ने केवल ग्राम खानपुर के एक ख0नं0 2301 रकबा 25.18 बीघा में स्थित अपने 1/9 हिस्से का विभाजन चाहने का यह वाद पेश किया है, जबकि इनको ग्राम खानपुर, ग्राम चीकली व ग्राम मोटला में वादीगण एवं प्रति0 1 लगा0 8 के शामलाती खाते की समस्त आराजी के विभाजन का वाद कब्जे के अनुसार लाना चाहिये था। साथ ही प्रति0नं0 1 लगा0 5 को भी अपने हिस्से के विभाजन के लिये उपरोक्त सभी गांवो की समस्त आराजियात को सम्मिलित करते हुये काउण्टर क्लेम कब्जे के अनुसार पेश करना चाहिये था। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा पारिवारिक समझौते के बाद 25 से 28 वर्ष बाद एक विशेष खसरा नम्बर के लिये वाद एवं प्रतिवाद लाना कतई न्यायोचित नहीं होने से चलने योग्य नहीं है।

यहां हम अधिवक्ता प्रति0 7, 8 दौराने बहस प्रस्तुत की गयी नजीरों से हम पूर्ण तया सहमत हैं। इस प्रकार वादीगण इस तनकी को साबित करने में विफल रहे हैं। वहीं प्रति0नं0 7, 8 का काउण्टर क्लेम बखूबी साबित है। ऐसे में प्रति0 7, 8 अपने काउण्टर क्लेम में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है तथा काउण्टर क्लेम में अंकित आराजी से वादीगण एवं प्रति0 1 लगा0 5 का नाम विलोपित किया जाना न्यायोचित है। अतः यह तनकी खिलाफ वादीगण, प्रति0 1 लगा0 5 एवं पक्ष में प्रति0 7, 8 निर्णित की जाती है।

5. आया पक्षकारान के खाते में ग्राम खानपुर में कमशः खाता सं0 47 पर 2 किता की 10.05 बीघा, खाता सं0 501 पर 1.02 बीघा, खाता सं0 46 पर 25.18 बीघा, ग्राम चीकली में खाता सं0 5 पर 7.04 बीघा, ग्राम मोटला में खाता सं0 3 पर 6.14 बीघा, ग्राम मोटला में ही खाता सं0 2 पर 3.07 बीघा, ग्राम चीकली में खाता सं0 1 पर 2. 04 बीघा भूमि दर्ज है जिसका पक्षकारान के मध्य 28 वर्ष पूर्व से ही विभाजन हो रहा है, जिसके अनुसार पक्षकारान को निम्नप्रकार भूमि मिली है?
   1. रतनलाल को ग्राम खानपुर की ख0नं0 2423, 2425 की 10.05 बीघा, ग्राम मोटला की ख0नं0 94/110 की 3.07 बीघा कुल 13.12 बीघा
   2. मदनलाल को ग्राम चीकली की 7.04 बीघा ग्राम मोटला की 4.00 बीघा, 2.14 बीघा कुल 13.18 बीघा
   3. कैलाशचंद को ग्राम खानपुर की ख0नं0 2301 की 12.19 बीघा, ख0नं0 2299/2791 की 0.11 बीघा कुल 13.10 बीघा
   4. रामस्वरूप को ग्राम खानपुर की ग्राम खानपुर की ख0नं0 2301 की 12.19 बीघा, ख0नं0 2299/2791 की 0.11 बीघा कुल 13.10 बीघा

— प्रतिवादी 7, 8

इस तनकी को साबित करने का भार प्रति0 7, 8 पर था। प्रति0 नं0 7, 8 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी Exd1 लगा0 Exd 7, नोटिस धारा 91 ख0नं0 2299 ग्राम खानपुर Exd8 लगा0 Exd40, जुर्माना व लगान की रसीदात Exd41 लगा0 Exd79,

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

बिजली बिल व जमा की रसीदात Exd80 लगा0 Exd102 एवं वादीगण के गवाह Pw1 लगा0 Pw3, प्रति0 नं0 7, 8 के गवाह Dw1 लगा0 Dw6, प्रति0 1 लगा0 5 के गवाह Dw7 लगा0 Dw8 के अनुसार इस तनकी में वर्णित तथ्यों के संबंध में तनकी नं0 4 में विस्तृत विवेचन होकर यह तनकी खिलाफ वादीगण, प्रति0 1 लगा0 5 एवं पक्ष में प्रति0 7, 8 निर्णित हो चुकी है। ऐसे में यह तनकी भी प्रति0नं0 7, 8 के पक्ष में एवं वादीगण, प्रति0 1 लगा0 5 के खिलाफ निर्णित की जाती है।

6. आया प्रति0 7, 8 सदैव से ही खानपुर में निवास करते हैं और इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी खातेदार खानपुर में नहीं रहते। ग्राम चीकली में निवास करते हैं ?
— प्रतिवादी 7, 8

इस तनकी को साबित करने का भार प्रति0नं0 7, 8 पर था। प्रति0 नं0 7, 8 के गवाह Dw1 लगा0 Dw6 अपने बयानों की जिरह में यह कहते हैं कि हमने तो कैलाशचंद एवं रामस्वरूप को ही ग्राम खानपुर में रहते व खेती करते हुये देखा है। वादीगण के गवाह Pw1 लगा0 Pw3,, प्रति0 1 लगा0 5 के गवाह Dw7 लगा0 Dw8 अपने बयानों की जिरह में स्वंय इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि कैलाशचंद प्रति0 नं0 7 व रामस्वरूप प्रति0नं0 8 सदैव से ही खानपुर रहते हैं तथा इनके अलावा वादीगण एवं प्रति0नं0 1 लगा0 5 ग्राम चीकली, बोरदामउ व झालावाड़ रहते हैं। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने यह तनकी भली प्रकार साबित करायी हैं। अतः यह तनकी पक्ष में प्रति0 7, 8 व खिलाफ वादीगण, प्रति0 1 लगा0 5 निर्णित की जाती है।

7. आया विगत 28 वर्षों से अपने हिस्से में आयी ख0नं0 2301 की आराजी पर प्रतिवादी 8 ने रहने का मकान बना रखा है, जिसमें परिवार सहित निवास करता है ?, अपने खर्चे से 2 नलकूप लगा रखे हैं जिनपर इनके नाम से 17 वर्ष पुराने विद्युत कनेक्शन हो रहे हैं जिनका विद्युत बिल भी प्रतिवादीगण ही अदा करते है साथ ही इस आराजी का लगान भी प्रतिवादीगण ही अदा करते आ रहे हैं ? –प्रतिवादी 7,8

इस तनकी को साबित करने का भार प्रति0नं0 7, 8 पर था। इस तनकी में वर्णित तथ्यों के संबंध में तनकी नं0 4 में विस्तृत विवेचन होकर प्रति0नं0 7, 8 के पक्ष में एवं वादीगण के खिलाफ निर्णित हो चुकी है। अतः यह तनकी पक्ष में प्रति0 7, 8 व खिलाफ वादीगण, प्रति0 1 लगा0 5 निर्णित की जाती है।

8. आया वादग्रस्त आराजी ख0नं0 2301 के पश्चिमी तरफ ख0नं0 2299 सरकारी भूमि स्थित है जिस पर भी अप्रार्थीगण का सदैव से कब्जा होने से केवल प्रतिवादी 7, 8 के विरूद्ध ही तहसील द्वारा धारा 91एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है ?
— प्रतिवादी 7,8

इस तनकी को साबित करने का भार प्रति0 7, 8 पर था। प्रति0नं0 7, 8 ने ख0नं0 2299 ग्राम खानपुर के संबंध में तहसील खानपुर से धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956 के अन्तर्गत जारी नोटिस Exd8 लगा0 Exd40 प्रस्तुत किये हैं, जिनसे साबित होता है कि ख0नं0 2299 ग्राम खानपुर पर प्रति0नं0 7, 8 का कब्जा रहा है। इसी कारण प्रति0 7, 8 के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। ऐसे में

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़

यह तनकी प्रति0 7, 8 के पक्ष में व खिलाफ वादीगण, प्रति0 1 लगा0 5 निर्णित की जाती है।

9. आया 28 वर्ष से पक्षकारान के बीच आपसी सहमति से आराजी का विभाजन हो जाने से खातेदारान अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर प्रथक प्रथक काश्त कर रहे हैं ? इस दौरान आराजी को खाद डालकर उन्नत बनाया है तथा तीन तरफ पत्थरों का कोट करवाकर इसे जानवरों से सुरक्षित कर रखा है ? ऐसे में अब नये सिरे से विभाजन कानून सम्मत नहीं होने एवं विधि के विपरीत होने से वाद खारिज होने योग्य है तथा प्रति0 7, 8 ग्राम खानपुर की ख0नं0 2301 की 25.18 बीघा व ख0नं0 2299/2791 की 1.02 बीघा के तन्हा खातेदार टीनेंट घोषित होने के अधिकारी हैं ?
— प्रतिवादी 7, 8

इस तनकी को साबित करने का भार प्रति0 7, 8 पर था। इस संबंध में विस्तृत विवेचन होकर तनकी नं0 4 प्रति0नं0 7, 8 के पक्ष में व वादीगण, प्रति0 1 लगा0 5 के खिलाफ निर्णित हो चुकी है। अतः यह तनकी भी प्रति0 7, 8 के पक्ष में व वादीगण, प्रति0 1 लगा0 5 के खिलाफ निर्णित की जाती है।

10. आया प्रतिवादी 1 लगा0 5 ग्राम खानपुर की ख0नं0 2301 की 25.18 बीघा आराजी में से अपने 5/36 हिस्से का विभाजन कराकर प्रथक खाते दर्ज कराने के अधिकारी हैं ?
—प्रति0 नं0 1लगा0 5

इस तनकी को साबित करने का भार प्रति0 1 लगा0 5 पर था। इस तनकी में वर्णित तथ्यों के संबंध में विस्तृत विवेचन होकर तनकी नं0 4, प्रति0 7, 8 के पक्ष में व वादीगण, प्रति0 1 लगा0 5 के खिलाफ निर्णित हो चुकी है। अतः यह तनकी भी प्रति0 7, 8 के पक्ष में व वादीगण, प्रति0 1लगा0 5 के खिलाफ निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण एवं प्रति0 1 लगा0 5 अपने जिम्मे की तनकीयात को साबित कराने में विफल रहे हैं। ऐसे में वादीगण का वाद एवं प्रति0 1लगा0 5 का काउण्टर क्लेम चलने योग्य नहीं है। वहीं प्रति0नं0 7, 8 ने अपने जिम्मे की तनकीयात को रेकार्ड एवं मौखिक साक्ष्य से साबित कराया है। ऐसे में यह अपने काउण्टर क्लेम में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ग्राम खानपुर की ख0नं0 2301, 2299/2791 में से वादीगण एवं प्रति0 1 लगा0 5 का नाम विलोपित होने पर इस आराजी में प्रति0नं0 7 कैलाशचंद का 1/2 हिस्सा, प्रति0 नं0 8 रामस्वरूप का 255/518 हिस्सा (1/2 हिस्से में से 2, 2 बिस्वा आराजी प्रति0नं0 9, 10 को बैचान कर देने से), प्रति0 9 प्रकाशचंद का 1/259 हिस्सा एवं मृतक प्रति0 10 चौथमल के वारीसान प्रति0 10/1 लगा0 10/5 का 1/259 हिस्सा रहेगा। चूँकि प्रति0नं0 7, 8 ने अपने काउण्टर क्लेम में ग्राम खानपुर की ख0नं0 2301, 2299/2791 के अलावा ग्राम चीकली, मोटला व खानपुर की पक्षकारान के शामलाती खाते में स्थित आराजियात में से अपना नाम विलोपित करने की कोई सहमति नहीं दी है। ऐसे में न्यायाहित में हम धारा 209 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्राम खानपुर की ख0नं0 2301, 2299/2791 के अलावा पक्षकारान के खाते की शेष आराजी ग्राम खानपुर की जमाबंदी सं0 2067–70 की खतौनी सं0 47 की

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़

2 किता रकबा 10.05 बीघा, ग्राम चीकली की जमाबंदी सं0 2066–69 की खतौनी सं0 5 की 2 किता रकबा 7.04 बीघा, ग्राम चीकली की जमाबंदी सं0 2066–69 की खतौनी सं0 6 की ख0नं0 136 रकबा 2.04 बीघा, ग्राम मोटला की जमाबंदी सं0 2068–71 की खतौनी सं0 3 की 3 किता रकबा 6.14 बीघा, ग्राम मोटला की जमाबंदी सं0 2068–71 की खतौनी सं0 2 की ख0नं0 94/110 रकबा 3.07 बीघा में से प्रति0नं0 7, 8 का नाम विलोपित करना उचित समझते हैं।

अतः वाद, वादीगण एवं प्रति0नं0 1 लगा0 5 का काउण्टर क्लेम चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। वहीं प्रति0 नं0 7, 8 का काउण्टर क्लेम साबित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम खानपुर की जमाबंदी सं0 2067–70 की खतौनी सं0 46 की ख0नं0 2301 रकबा 25.18 बीघा में प्रति0नं0 7 कैलाशचंद को 1/2 हिस्से, प्रति0नं0 8 रामस्वरूप को 255/518 हिस्से, प्रति0 नं0 9 प्रकाशचंद को 1/259 हिस्से एवं प्रति0नं0 10/1 लगा0 10/5 को 1/259 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम खानपुर की जमाबंदी सं0 2067–70 की खतौनी सं0 501 की ख0नं0 2299/2791 की 1.02 बीघा आराजी में प्रति0नं0 7 कैलाशचंद को हिस्से 1/2, प्रति0नं0 8 रामस्वरूप को हिस्से 1/2 का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। उपरोक्त दोनों खातों की आराजी में से वादी नं0 1 लगा0 4 व प्रति0 नं0 1 लगा0 5 का नाम खारिज हो। साथ ही ग्राम खानपुर की जमाबंदी सं0 2067–70 की खतौनी सं0 47 की 2 किता रकबा 10.05 बीघा, ग्राम चीकली की जमाबंदी सं0 2066–69 की खतौनी सं0 5 की 2 किता रकबा 7.04 बीघा, ग्राम चीकली की जमाबंदी सं0 2066–69 की खतौनी सं0 6 की ख0नं0 136 रकबा 2.04 बीघा, ग्राम मोटला की जमाबंदी सं0 2068–71 की खतौनी सं0 3 की 3 किता रकबा 6.14 बीघा, ग्राम मोटला की जमाबंदी सं0 2068–71 की खतौनी सं0 2 की ख0नं0 94/110 रकबा 3.07 बीघा में से प्रति0नं0 7, 8 का नाम खाते से खारिज हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। रहन का अंकन पक्षकारान के अपने–अपने हिस्से की आराजी पर यथावत रहेगा। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 29/07/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन जिला झालावाड़
(राजस्थान)